

2017 का विधेयक सं. 42

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017
(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पिछड़े वर्गों में अति पिछड़े वर्गों के प्रवर्ग के लिए राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

यतः, नागरिकों के पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रोन्नति के लिए राज्य में की शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों के लिए आरक्षण की नीति राजस्थान राज्य में बहुत लम्बे समय से क्रियान्वित की जा रही है;

और यतः, कई वर्षों से सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से पीड़ित राजस्थान की जनसंख्या के एक बहुत बड़े प्रतिशत ने आरक्षण नीति का लाभ लेना प्रारम्भ कर दिया है और वे अपनी दशा में सुधार तथा उच्चतर जीवन-स्तर प्राप्त करने में समर्थ हो गये हैं;

और यतः, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार को कई बार सिफारिश की है कि कतिपय पिछड़े वर्ग यथा बंजारा/बालदिया/लबाना, गाडिया लोहार/ गाडोलिया, गूजर/गुर्जर, राईका/रैबारी/देबासी, गडरिया/गाडरी/गायरी अत्यधिक पिछड़े हैं और उनके त्वरित शैक्षिक और सामाजिक प्रोन्नति के लिए विशेष सावधानी और संरक्षण की आवश्यकता है;

और यतः, संविधान के अनुच्छेद 38 के खण्ड (1) के अधीन राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और

राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करें, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा;

और यतः, संविधान के अनुच्छेद 38 के खण्ड (2) के अधीन राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा;

और यतः, संविधान के अनुच्छेद 46 के अधीन राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा;

और यतः, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा समय-समय पर की गयी सिफारिशों को देखते हुए यह समीचीन है कि पिछड़े वर्गों में अत्यधिक पिछड़े वर्गों यथा बंजारा/बालदिया/लबाना, गाडिया लोहार/ गाडोलिया, गूजर/गुर्जर, राईका/रैबारी/देबासी, गडरिया/ गाडरी/ गायरी को अति पिछड़े वर्ग के रूप में एक पृथक् प्रवर्ग के रूप में पिछड़े वर्गों के भीतर वर्गीकृत किया जाना चाहिए और उनके त्वरित शैक्षिक और सामाजिक प्रोन्नति के लिए विशेष सावधानी और संरक्षण दिया जाना चाहिए।

अतः अब, भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "पिछड़ा वर्ग" से राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम सं. 12) में यथा परिभाषित पिछड़ा वर्ग अभिप्रेत है;
- (ख) "आयोग" से राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 4) की धारा 3 के अधीन गठित राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अभिप्रेत है;
- (ग) "क्रीमीलेयर" से अति पिछड़े वर्गों के भीतर व्यक्तियों का ऐसा वर्ग अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचित करे;
- (घ) "अति पिछड़ा वर्ग" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्ग अभिप्रेत है;
- (ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (च) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;

(छ) "राज्य के अधीन सेवाओं" से राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोक सेवाएं और पद अभिप्रेत हैं और इसमें सम्मिलित हैं-

- (i) किसी भी स्थानीय प्राधिकारी में की सेवाएं और पद;
- (ii) राज्य सरकार के पूर्ण या सारवान् स्वामित्व या नियंत्रण में के अधीन किसी भी निगम या कम्पनी में की सेवाएं और पद;
- (iii) राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम के द्वारा या अधीन गठित और राज्य द्वारा पूर्णतः या सारवान् रूप से वित्त-पोषित किसी भी अन्य प्राधिकारी या निकाय में की सेवाएं और पद; और
- (iv) ऐसी सेवाएं और पद जिनके संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को सरकारी आदेश से आरक्षण लागू था और जो उप-खण्ड (i) से (iii) के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

3. राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण.- (1) अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की ऐसी शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में, जो विहित किये जायें, प्रवेश के लिए वार्षिक अनुज्ञात संख्या के संबंध में आरक्षण, वार्षिक अनुज्ञात संख्या का ऐसा प्रतिशत होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना उसके इस प्रकार जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखी जायेगी और धारा 6 की उप-धारा (2) के उपबंध ऐसी अधिसूचना पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, क्रीमीलेयर से संबंधित व्यक्ति, राज्य की किसी भी शैक्षिक संस्था में सीटों के आरक्षित कोटे के विरुद्ध विचार में लिये जाने के पात्र नहीं होंगे।

4. राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण.- (1) अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण, राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का ऐसा प्रतिशत होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना उसके इस प्रकार जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखी जायेगी और धारा 6 की उप-धारा (2) के उपबंध ऐसी अधिसूचना पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, क्रीमीलेयर से संबंधित व्यक्ति, राज्य के अधीन नियुक्तियों और पदों में आरक्षित कोटे के विरुद्ध विचार में लिये जाने के पात्र नहीं होंगे।

5. कतिपय मामलों में कोई आरक्षण नहीं होना.- धारा 4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित पदों के संबंध में कोई आरक्षण नहीं होगा, अर्थात्:-

(क) स्थानान्तरण, पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पद; और

(ख) वह पद, जो किसी भी संवर्ग या ग्रेड में एक (एकल) है।

6. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के

सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए रखे जायेंगे, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि, ऐसे सत्र, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो उक्त नियम तत्पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण तदधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

7. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, आयोग के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अनुसूची में किसी प्रविष्टि को जोड़ सकेगी, संशोधित कर सकेगी या हटा सकेगी और ऐसे प्रकाशन की तारीख को और से, अनुसूची तदनुसार संशोधित हो जायेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना उसके इस प्रकार जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखी जायेगी और धारा 6 की उप-धारा (2) के उपबंध ऐसी अधिसूचना पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

8. कठिनाइयों का निराकरण.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, ऐसी कोई भी बात कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई का निराकरण करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

9. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए किसी प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

10. अधिनियम अन्य विधियों का अल्पीकरण नहीं करेगा.- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करेगी। तथापि, इस अधिनियम के अधीन आरक्षण का फायदा ले रहे अति पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग के रूप में आरक्षण का फायदा लेने के हकदार नहीं होंगे।

11. निरसन और व्यावृत्ति.- (1) राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 32) इसके द्वारा निरसित किया जाता है और राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) के उपबंध ऐसे निरसन पर लागू होंगे।

(2) इस अधिनियम की कोई भी बात, राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में किये गये किन्हीं भी आदेशों को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

अनुसूची
(धारा 2(च) देखिए)

| क्र.सं. | वर्ग |
|---------|-------------------------|
| 1. | बंजारा, बालदिया, लबाना। |
| 2. | गाडिया लोहार, गाडोलिया। |
| 3. | गूजर, गुर्जर। |
| 4. | राईका, रैबारी, देबासी। |
| 5. | गडरिया, गाडरी, गायरी। |

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान का अनुच्छेद 38 राज्य को आदिष्ट करता है कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करें, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। इसमें यह भी आदिष्ट किया गया है कि राज्य, विशिष्टता, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। संविधान का अनुच्छेद 46 भी यह आदिष्ट करता है कि राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा।

हमारे संविधान-निर्माताओं द्वारा राज्य की नीति के उपरोक्त निदेशक तत्वों में निवेशित पवित्र आशाओं को कार्यरूप में परिणत करने के लिए राजस्थान राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों जैसे नागरिकों के पिछड़ा वर्ग से संबंधित लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रोन्नति के लिए प्रवेश और नियुक्तियों में आरक्षण की नीति को क्रियान्वित कर रहा है और कई वर्षों से सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से पीड़ित नागरिकों के एक बड़े भाग ने आरक्षण की नीति के फायदों का उपयोग करना शुरू कर दिया है तथा अपनी दशा में सुधार और उच्चतर जीवन-स्तर प्राप्त करने में समर्थ हो गये हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न अन्य पिछड़ा वर्गों को प्रवेश और नियुक्तियों में आरक्षण सर्वप्रथम वर्ष 1994 में दिया गया था। उस समय 52 जातियां पिछड़ा वर्गों के रूप में सूचीबद्ध थीं। तत्पश्चात् समाज के विभिन्न वर्गों ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष उनको पिछड़ा वर्गों की श्रेणी में सम्मिलित करने के लिए अभ्यावेदन किये। आयोग ने उनकी सामाजिक और शैक्षिक प्रास्थिति का अध्ययन करने के पश्चात् समय-समय पर और जातियों को पिछड़ा वर्गों की सूची में जोड़े जाने की सिफारिश की। वर्तमान में पिछड़ा

वर्गों की सूची में 91 जातियां सम्मिलित हैं और वे राज्य की कुल जनसंख्या के लगभग 52 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हैं।

यद्यपि आनुपातिकता का सिद्धांत अनुच्छेद 16 के अधीन आरक्षण पर उस रूप में लागू नहीं है जिस रूप में वह अनुच्छेद 330 और 332 में लागू है, तथापि आरक्षण का विस्तार सुनिश्चित करने में राज्य की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों का अनुपात एक सुसंगत कारक है। वस्तुतः केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने में इस सिद्धांत का अनुसरण किया गया है। जब केन्द्र सरकार ने वर्ष 1993 में पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिया था तब राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े वर्गों की जनसंख्या 52 प्रतिशत के आस-पास थी और आरक्षण 27 प्रतिशत दिया गया था। चूंकि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राजस्थान में पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या 52 प्रतिशत के आस-पास होने का अनुमान लगाया है इसलिए जनसंख्या की मात्रा को देखते हुए पिछड़े वर्गों के आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त माननीय न्यायाधिपति (से.नि.) श्री सुनील कुमार गर्ग की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के साथ ही साथ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने प्रतिवेदनों में, जो उनके द्वारा किये गये विस्तृत अध्ययन पर आधारित हैं, स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि इन्द्रा साहनी के मामले में परिकल्पित विशेष परिस्थितियां राज्य में विद्यमान हैं और पिछड़े वर्गों का प्रवेश और नियुक्तियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उस मामले में अधिकथित 50 प्रतिशत की सीमा से आगे बढ़ने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं।

चूंकि पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित सभी जातियां सामाजिक और शैक्षिक विकास के भिन्न-भिन्न स्तरों पर हैं और इसलिए संविधान के ऊपर वर्णित अनुच्छेदों में अनुध्यात राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के उद्देश्यों को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि इन वर्गों को इनके सामाजिक और शैक्षिक विकास के स्तरों के अनुरूप पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों में उप विभाजित नहीं किया जाये। वर्गों की समानता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह मामला माननीय न्यायाधिपति (से.नि.) श्री इन्द्रसेन इसरानी की अध्यक्षता वाले तत्कालीन

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को निर्दिष्ट किया गया था। आयोग ने वर्ष 2012 में प्रस्तुत रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि कतिपय जातियां जैसे बंजारा/बालदिया/लबाना, गाडिया लोहार/गाडोलिया, गूजर/गुर्जर, राईका/रैबारी/देबासी, गडरिया/गाडरी/गायरी अत्यधिक पिछड़ी हुई हैं और उनकी त्वरित सामाजिक और शैक्षिक प्रोन्नति के लिए विशेष सावधानी और संरक्षण की आवश्यकता है। उस सिफारिश के आधार पर उपरोक्त जातियों का एक अलग वर्ग गठित किया गया और उनको वर्ष 2015 में एक अलग अधिनियम द्वारा 5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। उस अधिनियम को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित किया गया और माननीय न्यायालय ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन में कतिपय कमियों की ओर संकेत करते हुए अभिखंडित कर दिया।

चूंकि 2015 के अधिनियम को अभिखंडित करने के पीछे मुख्य कारण राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन में रही कमियां थी इसलिए राज्य सरकार ने आक्षेपित प्रतिवेदन का फिर से परीक्षण करने के लिए माननीय न्यायाधिपति (से.नि.) श्री सुनील कुमार गर्ग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की। उच्च स्तरीय समिति ने समाज के विभिन्न वर्गों के क्षेत्रीय अध्ययन के साथ-साथ विस्तृत अध्ययन के पश्चात् अपना प्रतिवेदन 10 जुलाई, 2017 को प्रस्तुत किया जो तीन वोल्यूम में समाहित है। यह प्रतिवेदन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को परीक्षण और सिफारिश के लिए निर्दिष्ट किया गया। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना प्रतिवेदन 16 जुलाई, 2017 को प्रस्तुत किया। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और उच्च स्तरीय समिति दोनों ने स्पष्ट रूप से यह सिफारिश की है कि इन्द्रा साहनी के मामले में परिकल्पित विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं और कतिपय जातियां जैसे बंजारा/बालदिया/लबाना, गाडिया लोहार/गाडोलिया, गूजर/गुर्जर, राईका/रैबारी/देबासी, गडरिया/गाडरी/गायरी अत्यधिक पिछड़े वर्ग हैं और उनके लिए पृथक् आरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि इन जातियों को अति पिछड़ा वर्ग के रूप में एक पृथक् वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और उनको इन्द्रा साहनी के मामले में अधिकथित 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर 1 प्रतिशत और उस सीमा

के बाहर 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रकार इन जातियों का कुल आरक्षण 5 प्रतिशत होना चाहिए और समग्र पिछड़े वर्ग का आरक्षण 26 प्रतिशत होना चाहिए।

कम से कम चार आयोगों और समितियों, जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति ने की है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, का समान रूप से यह निष्कर्ष रहा है कि बंजारा/बालदिया/लबाना, गाडिया लोहार/गाडोलिया, गूजर/गुर्जर, राईका/रैबारी/देबासी, गडरिया/गाडरी/गायरी अत्यधिक पिछड़े वर्ग हैं और उनके सामाजिक और शैक्षिक प्रोन्नति के लिए विशेष और तत्काल ध्यान दिये जाने और उनको प्रवेश और नियुक्तियों के मामले में पर्याप्त आरक्षण दिये जाने की आवश्यकता है और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा से थोड़ा आगे बढ़ने को न्यायसंगत ठहराती हैं।

इन परिस्थितियों में राज्य सरकार का न केवल यह समाधान हो गया है बल्कि वह यह महसूस करती है कि अति पिछड़ा वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना और उनके लिए प्रास्थिति, सुविधाओं और अवसरों की समानता सुनिश्चित करने और लोगों के इन वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की भी प्रोन्नति की दृष्टि से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को तत्काल लागू करना उसका दायित्व है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

olqU/kjk
jkts]
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को शैक्षिक संस्थाएं और पाठ्यक्रम, जिनमें उक्त खण्ड में उपबंधित आरक्षण लागू होगा, विहित करने के लिए सशक्त करेगा और खण्ड 6, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

**olqU/kjk
jkts]
प्रभारी मंत्री।**

(Authorised English Translation)

Bill No. 42 of 2017

**THE RAJASTHAN BACKWARD CLASSES
(RESERVATION OF SEATS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS IN THE STATE AND OF APPOINTMENTS
AND POSTS IN SERVICES UNDER THE STATE) BILL,
2017**

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to provide for the reservation of seats in educational institutions in the State and of appointments and posts in the services under the State for the category of more backward classes within the backward classes and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS, *the policy of reservation for the social, economic and educational advancement of the people belonging to Backward Classes of Citizens in admissions to educational institutions in the State and for reservation of appointments and posts in the services under the State has been under implementation in the State of Rajasthan for a long time;*

AND WHEREAS, *a large percentage of the population of Rajasthan suffering from social and educational backwardness for many years have started enjoying the fruits of the reservation policy and have been able to improve their lot and attain a higher standard of living;*

AND WHEREAS, *the Rajasthan State Commission for Backward Classes has time and again recommended to the State Government that certain backward classes like Banjara/Baldiya/Labana, Gadiya Lohar/Gadoliya, Gujar/Gurjar, Raika/Rebari/Debasi, Gadariya/ Gadri/Gayari are extremely backward and need special care and protection for their rapid educational and social advancement;*

AND WHEREAS, *under clause (1) of Article 38 of the Constitution, the State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may, a social*

order in which justice, social economic and political shall inform all the institution of the national life;

AND WHEREAS, under clause (2) of Article 38 of the Constitution, the State shall, in particular, strive to minimize inequalities in income, and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations;

AND WHEREAS, under Article 46 of the Constitution, the State shall promote, with special care, the educational and economic interests of the weaker sections of the people;

AND WHEREAS, looking to the recommendations made by the Rajasthan State Commission for Backward classes, from time to time, it is expedient that the extremely backward classes within the backward classes like the Banjara/Baldiya/Labana, Gadiya Lohar/Gadoliya, Gujar/Gurjar, Raika/ Rebari/Debasi, Gadariya/ Gadri/Gayari should be classified within backward classes as a separate category as more backward classes and they should be given special care and protection for their rapid educational and social advancement.

NOW, therefore, be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) “backward classes” means the backward classes as defined in the Rajasthan Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, Special Backward Classes and Economically Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2008 (Act No. 12 of 2009);

- (b) "Commission" means the Rajasthan State Commission for Backward Classes constituted under section 3 of the Rajasthan State Commission for Backward Classes Act, 2017 (Act No. 4 of 2017);
- (c) "creamy layer" means such class of persons within the more backward classes, as the State Government may notify, in the Official Gazette for the purposes of this Act ;
- (d) "more backward classes" means the backward classes specified in the Schedule;
- (e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act ;
- (f) "Schedule" means the Schedule to this Act;
- (g) "services under the State" means the public services and posts in connection with the affairs of the State and includes the services and posts in-
 - (i) any local authority;
 - (ii) any corporation or company owned or controlled, wholly or substantially, by the State Government;
 - (iii) any other authority or body constituted by or under an Act of the State Legislature and funded, wholly or substantially, by the State; and
 - (iv) respect of which reservation was applicable by Government orders on the date of commencement of this Act and which are not covered under sub-clauses (i) to (iii).

3. Reservation of seats in educational institutions in the State.- (1) The reservation in respect of the annual permitted strength for admission into such educational institutions and courses in the State, as may be prescribed, for the more backward classes shall be such percent of the annual permitted strength as may be notified by the State Government from time to time:

Provided that every notification issued under this subsection shall be laid, as soon as may be, after it is so issued, before the House of the State Legislature and the provisions of subsection (2) of section 6 shall *mutatis mutandis* apply to such notification.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), persons belonging to creamy layer shall not be eligible for consideration against the reserved quota of seats in any educational institution in the State.

4. Reservation of appointments and posts in the services under the State.- (1) The reservation of appointments and posts in the services under the State for the more backward classes shall be such percent of the appointments and posts in services under the State as may be notified by the State Government from time to time:

Provided that every notification issued under this sub-section shall be laid, as soon as may be, after it is so issued, before the House of the State Legislature and the provisions of sub-section (2) of section 6 shall *mutatis mutandis* apply to such notification.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), persons belonging to creamy layer shall not be eligible for consideration against the reserved quota in the appointments and posts under the State.

5. No reservation in certain cases.- Notwithstanding anything contained in section 4, there shall be no reservation in respect of the following posts, namely :-

- (a) the posts to be filled by transfer, promotion or deputation; and
- (b) the post which is single (isolated) in any cadre or grade.

6. Power to make rules.- (1) The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this section shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the sessions in which they are so laid or of the sessions immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

7. Power to amend the Schedule. - (1) The State Government may, in consultation with the Commission, add, amend or delete any entry of the Schedule by notification published in the Official Gazette and on and from the date of such publication, the Schedule shall stand amended accordingly .

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, after it is so issued, before the House of the State Legislature and the provisions of sub-section (2) of section 6 shall *mutatis mutandis* apply to such notification.

8. Removal of difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order, published in the Official Gazette, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty :

Provided that no order under this section shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is so made, before the House of the State Legislature.

9. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any authority or person for anything done or purported to have been done in good faith in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder.

10. Act not to derogate from other laws.- Nothing contained in this Act shall derogate from any other law for the time being in force. However a more backward class receiving the benefit of reservation under this Act shall not be entitled to receive the benefit of reservation as backward class.

11. Repeal and saving.- (1) The Rajasthan Special Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2015 (Act No. 32 of 2015) is hereby repealed and the provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955) shall apply to such repeal.

(2) Nothing in this Act shall be deemed to have affected any orders made by the Governor in exercise of his powers under the Fifth Schedule of the Constitution of India in respect of the Scheduled Areas.



SCHEDULE
(See sec. 2(f))

| S.No. | Classes |
|--------------|----------------------------|
| 1. | Banjara, Baldiya, Labana . |
| 2. | Gadiya Lohar, Gadoliya. |
| 3. | Gujar, Gurjar. |
| 4. | Raika, Rebari, Debasi. |
| 5. | Gadariya, Gadri, Gayari. |

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Article 38 of the Constitution enjoins upon the State that it shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may, a social order in which justice, social economic and political shall inform all the institutions of the national life. It further mandates that the State shall, in particular, strive to minimize inequalities in income and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations. Article 46 of the Constitution also mandates that the State shall promote, with special care, the educational and economic interests of the weaker sections of the people.

In order to translate into action the pious hopes of our Founding Fathers invested in the above directive principles of state policy, the State of Rajasthan is implementing the policy of reservation for the social, economic and educational advancement of the people belonging to backward classes of Citizens like Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes in admissions and appointments and a large section of citizens suffering from social and educational backwardness for many years have started enjoying the fruits of the reservation policy and have been able to improve their lot and attain a higher standard of living.

The Backward Classes other than Scheduled Castes and Scheduled Tribes were provided reservation in admissions and appointments first time in the Year 1994. At that time 52 castes were enlisted as other backward classes. Thereafter various sections of the society represented before the State Backward Classes Commission for their inclusion in the category of backward classes. The Commission after carrying out the study of their social and educational status recommended time to time more castes to be added in the list of backward classes. At present total 91 castes stand included in the list of backward classes and they represent approximate 52% of the total population of the State.

Though the principle of proportionality is not applicable to the reservation under Article 16 as it is applicable under Articles 330 and 332, however, the proportion of the backward classes to the total population of the State is a relevant factor while determining the extent of reservation. And in fact, this principle has been followed by Central Government while granting

reservation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. When the Central Government provided reservation to backward classes in the Year of 1993, the proportion of the population of backward classes at national level was about 52% and the reservation was provided 27%. Since the population of backward classes in the State of Rajasthan is estimated by the State Backward Classes Commission to be about 52%, therefore looking to the volume of population, the percentage of reservation for backward classes need to be increased. The High Power Committee, headed by Hon'ble Justice (Retd.) Sunil Kumar Garg, appointed by the State Government as well as the State Backward Classes Commission has unequivocally concluded in their reports, which is based on extensive studies conducted by them, that special circumstances envisaged in the Indra Sawhny's case do exist in the State and there are reasonable grounds to exceed the limit of 50% laid down in that case to ensure adequate representation of Backward Classes in admissions and appointments.

Since all the castes included in the list of Backward Classes are at different stages of social and educational development and therefore the objectives of the directive principles of State policy mandated in the above referred Articles of the Constitution cannot be fully achieved unless these classes are sub-divided in backward and more backward classes according to the level of their social and educational development. In order to ensure class equality, the matter was referred to the then State Backward Classes Commission, headed by Hon'ble Justice (Retd.) Indersen Ishrani. The Commission in its report submitted in the Year 2012 recommended that certain castes namely Banjara/Baldiya/Labana, Gadiya Lohar/Gadoliya, Gujar/Gurjar, Raika/Rebari/Debasi, Gadariya/ Gadri/Gayari are extremely backward and need special care and protection for their rapid social and educational advancement. On the basis of that recommendation, the above castes were constituted in a separate class and they were provided 5% reservation in the Year of 2015 by a separate Act. The Act was challenged before the Hon'ble Rajasthan High Court and the Hon'ble Court, while indicating certain deficiencies in the report of the State Backward Classes Commission, struck down the Act.

Since the main reason behind striking down of the Act of 2015 was the deficiencies in the report of the State Backward Classes Commission, the State Government appointed a High Power Committee in the Chairmanship of the Hon'ble Justice

(Retd.) Sunil Kumar Garg to revisit the impugned report. The High Power Committee, after carrying out extensive study including field study of various sections of the society submitted its report on 10th July, 2017 which comprises in three Volumes. This report was referred to the State Backward Classes Commission for examination and its recommendation. The State Backward Classes Commission submitted its report on 16th July, 2017. Both the State Backward Classes Commission and the High Power Committee have unequivocally recommended that special circumstances as contemplated in the Indra Sawhny's case do exist and certain castes like Banjara/Baldiya/Labana, Gadiya Lohar/Gadoliya, Gujar/Gurjar, Raika/ Rebari/Debasi, Gadariya/ Gadri/Gayari are extremely backward classes and need separate reservation. They have also recommended that these castes should be categorized as a separate class as More Backward Classes and they should be provided 1% reservation from within the limit of 50% laid down in the Indra Sawhny's case and 4% from beyond that limit for which compelling circumstances do exist. Thus the total reservation of these castes should be 5% and total reservation of backward classes as a whole should be 26%.

Not less than four Commissions and Committees, each one headed by a person who has been a Judge of the High Court, have concurrently concluded that Banjara/Baldiya/Labana, Gadiya Lohar/Gadoliya, Gujar/Gurjar, Raika/ Rebari/Debasi, Gadariya/ Gadri/Gayari are extremely backward classes and they need special and immediate attention for their social and educational advancement and providing them adequate reservation in the matters of admissions and appointments and circumstances exist which justify to slightly exceed the 50% limit of the reservation.

In these circumstances, the State Government is satisfied rather feel obliged to implement the recommendations of the State Backward Classes Commission immediately so as to secure the more backward classes justice, social and economic and to ensure equalities of status, facilities and opportunities to them and also to promote the educational and economic interests of these sections of the people.

The proposed Bill seeks to achieve the aforesaid objectives. Hence the Bill.

olqU/kjk jkts]
Minister Incharge.

**MEMEMORANDUM REGARDING DELEGATED
LEGISLATION**

Clause 3 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the educational institutions and courses in which reservation provided under that clause would be applicable and Clause 6 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of the Act.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

**olqU/kjk jkts]
Minister Incharge.**

2017 का विधेयक सं.42

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

पिछड़े वर्गों में अति पिछड़े वर्गों के प्रवर्ग के लिए राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
सचिव।

27

(वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 42 of 2017

**THE RAJASTHAN BACKWARD CLASSES
(RESERVATION OF SEATS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS IN THE STATE AND OF APPOINTMENTS
AND POSTS IN SERVICES UNDER THE STATE) BILL,
2017**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to provide for the reservation of seats in educational institutions in the State and of appointments and posts in the services under the State for the category of more backward classes within the backward classes and for matters connected therewith or incidental thereto.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Secretary.

(Vasundhara Raje, **Minister-Incharge**)